न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022 / 30

1. नाथू आयु 70 वर्ष आत्मज श्री अलादीन जाति मुसलमान निवासी सावंतगढ ।
2. जुम्मा आयु 60 वर्ष आत्मज श्री अलादीन जाति मुसलमान निवासी सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कमला बाई आयु 45 वर्ष पत्नी श्री जगदीश जाति कुम्हार निवासी सावंतगढ ।
2. प्रेमबाई आयु 48 वर्ष पत्नी री मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी सावंतगढ ।
3. मोती आयु 60 वर्ष आत्मज श्री गुलाब चन्द जाति कुम्हार निवासी सावंतगढ ।
4. जगदीश आयु 55 वर्ष आत्मज श्री गुलाब चन्द जाति कुम्हार निवासी सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.10.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 03.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सावंतगढ की आराजी खसरा नम्बर 1152/1274 रकबा 01 बीघा व खसरा नम्बर 1157 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण कम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज है । ग्राम सावंतगढ में खसरा नम्बर 1153 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं । ग्राम सावंतगढ तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 1149 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1162 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल 02 किता कुल रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण कम 3 व 4 के खतोदारी में दर्ज है । प्रार्थीगण ग्राम सावंतगढ के स्थायी निवासी हैं । प्रार्थीगण कृषक व्यक्ति हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य करना है । प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर ही मकान बनाकर निवास करते हैं । प्रार्थीगण ग्राम सावंतगढ से रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1074 से होकर खसरा नम्बर 1073 गैर0मु0 नाले के सहारे खसरा नम्बर 1152 में होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1152/1274 पर होकर खसरा नम्बर 1153 पर पहुंचते हैं । उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान है, मौके पर मौजूद रास्ते का नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" संलग्न है । रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1074 से बरसाती नाला खसरा नम्बर 1073 नाले से सहारे खसरा नम्बर 1152 में रास्ता बना हुआ है जो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1152/1274 में होता हुआ खसरा नम्बर 1153 पर पहुंचता है । प्रार्थी की भूमि का रास्ता खसरा नम्बर 1152 सिवायचक में बना हुआ है, लेकिन खसरा नम्बर 1152 सिवायचक में बना हुआ रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है । प्रार्थीगण सिवायचक भूमि में बने रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं अर्थात् खसरा नम्बर 1152 में 12 फीट चौडे रास्ते की घोषणा करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" में रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन उक्त रास्ते की भूमि के सहारे खसरा नम्बर 1152 में से अप्रार्थी नाथू व उल्लाद्दीन मुसलमान को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1152/1275, 1451/1275, 1152/1275 पर उनका कब्जा चला आ रहा है । इसके बावजूद रास्ते की साइड पर मौके पर बने हुए रास्ते के बाद अप्रार्थीगण ने पिल्लर गाडकर तार फेंसिंग कर रखी है लेकिन अप्रार्थीगण मौके पर बने हुए रास्ते को नष्ट करने पर आमादा है । प्रार्थीगण की भूमि पर नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1074 से बरसाती नाला खसरा नम्बर 1073 के सहारे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1152 में 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1152/1274 तक घोषित किया जाकर रास्ते की नक्शे में लाल स्याही से तरमीम किये जाने के आदेश पारित किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण कम 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सावंतगढ के गैर मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1074 से खसरा नम्बर 1073 के सहारे खसरा

नम्बर 1152 रकबा 12 बिस्वा राजकीय सिवायचक में 50 गठ्ठा लम्बाई व 2 गठ्ठा चौडाई में कुल 05 बिस्व व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1152/1274 में 54 गठ्ठा लम्बा व 2 गठ्ठा चौडा कुल 05 बिस्वा रास्ता प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 14.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2020 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2020 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.11.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित किया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण 2 व 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के लिए आने–जाने का अन्य रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध होने से बावजूद माननीय न्यायालय ने नया रास्ता अपीलान्ट के खेतों में से होकर दिये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति पालना रिपोर्ट पटवार मण्डल सावंतगढ दिनांक 03.06.2022, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079, फोटो प्रति खसरा नक्शा एवं जामबन्दी, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079, फोटो प्रति खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी एवं फोटो प्रति रसीद पेश किये हैं । उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सावंतगढ में उनकी आराजी स्थित है जिस पर उनका कब्जा चला आ रहा

है । वो रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1074 से हाकर खसरा नम्बर 1073 गैर मुमकिन नाले से सहारे खसरा नम्बर 1152 से होकर खसरा नम्बर 1153 तक पहुंचते हैं। उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान है । प्रार्थीगण ने 12 फिट चौडा रास्ता मौके पर बना रखा है इसका उपयोग वो निरन्तर करते चले आ रहे हैं । खसरा नम्बर 1152 में से एक बीघा भूमि प्रार्थिया कमला बाई और प्रेमबाई के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदारी की भूमि की तरमीम कटी हुई नहीं है । इस कारण पडौसी व्यक्ति खसरा नम्बर 1152 में से आवंटित भूमि के अन्य खातेदार रास्ते में दखलन्दाजी करते हैं और इसको खुर्द–बुर्द करने की धमकी देते हैं । अतः खसरा नम्बर 1152 जहॉं मौके पर रास्ता बना हुआ है उस रास्ते की भूमि पर प्रार्थिया कमला और प्रेमबाई को आवंटित खातेदारी की भूमि की तरमीम की जावे । यदि मौके पर सिवायचक आराजी पायी जावे तो रास्ते की घोषणा की जावे और रास्ते की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में की जावे । नायब तहसीलदार दबलाना ने बिना अपीलान्ट को सुने खसरा नम्बर 1152 में अपनी इच्छानुसार भूमियों की तरमीम कर खसरा नम्बर 1152 में नाले के सहारे 12 बिस्वा भूमि को सिवायचक दर्शाते हुए उक्त सिवायचक भूमि में से खसरा नम्बर 1152/1274 में रास्ता घोषित करते हुए रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया । अपीलान्ट खसरा नम्बर 1152 से बने खसरा नम्बर 1152/1275, 1451/1271 के स्वामी एवं खातेदार हैं । खसरा नम्बर 1152 की आराजी पर अपीलान्ट का आवंटन के समय से ही नाले की भूमि तक कब्जा है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था । अपीलान्टगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय ने अपीलान्ट को व्यथित पक्षकार होना मानते हुए अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था । तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रार्थीगण अपीलान्ट को नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान तभी लागू होते हैं जब आवेदक के पास अन्य कोई रास्ता अपनी भूमियों पर आने–जाने का उपलब्ध न हो । रास्ता उपलब्ध होते हुए भी सुविधा के लिए आवेदक को अन्य सुलभ रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2022 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2021 पेज 1286 उद्वरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उन्होंने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने परीक्षण न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो सरकारी सिवायचक आराजी में रास्ता कायम करने के लिए पेश किया है । अपीलान्ट स्वयं को आवंटित आराजी के अतिरिक्त सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 1152 में रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजी स्थित है । रेस्पोडेन्टगण रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1074 से होकर खसरा नम्बर 1075 नाले के सहारे खसरा नम्बर 1152 से होकर निकलते हैं । प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । तरमीम के अनुसार खसरा नम्बर 1152 में जिस हिस्से में रास्ता कायम किया गया है वह सरकारी सिवायचक है । रेस्पोडेन्ट ने उसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करवा दिया है । इसका अपीलान्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलान्ट के खाते में जितनी आराजी है उस पर रास्ता कायम नहीं किया गया है । अप्रार्थी कम 2 व 3 अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार किया गया और इस सम्बन्ध में

स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पटवारी हल्का सावंतगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक दबलाना, रानीपुरा एवं पटवारी हल्का बडगॉव के साथ मय रिकॉर्ड के प्रस्तावित रास्ते का अवलोकन कर मौका पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया गया । अपीलान्टगण को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 118, आरआरटी 2015 (2) पेज 1003, आरआरटी 2016 (2) पेज 1149, आरआरटी 2019 (1) पेज 574, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 511, आरआरटी 2021 (1) पेज 246 उद्वरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1074 से बरसाती नाला खसरा नम्बर 1073 के सहारे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1152 में 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1152/1274 तक घोषित किया जाकर रास्ते की नक्शे में लाल स्याही से तरमीम किये जाने के आदेश पारित किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सावंतगढ के गैर मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1074 से खसरा नम्बर 1073 के सहारे खसरा नम्बर 1152 रकबा 12 बिस्वा राजकीय सिवायचक में 50 गठ्ठा लम्बाई व 2 गठ्ठा चौडाई में कुल 05 बिस्व व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1152/1274 में 54 गठ्ठा लम्बा व 2 गठ्ठा चौडा कुल 05 बिस्वा रास्ता प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 14.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2020 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2020 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थी कम 2 व 3 अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुना गया । इस सम्बन्ध में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पटवारी हल्का सावंतगढ, भू–अभिलेख निरीक्षक दबलाना, एवं पटवारी हल्का बडगॉव के साथ मय रिकॉर्ड के प्रस्तावित रास्ते का अवलोकन कर मौका पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया गया । दिनांक 22.10.2021 की मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा तैयार की गई है ।

14. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क एवं कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 251 (क) के तहत रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर ही नया रास्ता दिया जा सकता है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 1152/1274, 1157, 1153, 1149 व 1162 पर पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1091, 1099, 1098, 1368/1098, 1138, 1140, 1144, 1170, 1169 तथा सिवायचक नम्बर 1168 व 1165 की मेर से होते हुए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । अतः केवल

सुविधा हेतु सुगम रास्ता रेस्पोडेन्ट को नहीं दिया जा सकता । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया है जिससे स्पष्ट है कि जो वैकल्पिक मार्ग अपीलान्ट द्वारा बताया गया है उसका उपयोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने नहीं किया । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया है कि निर्णय में दिया गया मार्ग 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार लघुतम मार्ग है तथा यह सुविधा नहीं, अपितु रेस्पोडेन्ट की आवश्यकता है । रास्ते की भूमि का झीकरा (ग्रेवल सडक) डाला गया है जिसे अपीलान्ट द्वारा अवरूद्ध किया गया है । हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी कम 01 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली को भी संयोजित किया गया है । नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1152 से यह रास्ता प्रस्तावित किया है । अपीलान्ट ने स्वयं ने कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर आपत्ति भी प्रस्तुत की तथा उक्त आपत्ति पर पक्षकारों को सुना गया तथा दिनांक 22.102021 को स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया तथा मौका पर्चा पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर हैं । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा जो रास्ता विकल्प के रूप में पूर्व से विद्यमान होना बताया गया है, उसे मौका रिपोर्ट व पीठासीन अधिकारी स्वयं ने निरीक्षण में सही नहीं माना है । हमने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने जिस वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख किया है उसे नायब तहसीलदा, गिरदावर, पटवारी की मौका रिपोर्ट में विवेचित किया गया है तथा मौके का अवलोकन स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा कैम्प कोर्ट के दौरान किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि धारा 251 (क) के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता सिद्ध होनी चाहिए । मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना से स्पष्ट है कि जिस वैकल्पिक मार्ग को विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इंगित किया गया है उसके आगे भी सिवायचक भूमि 1168 व 1165 स्थित है । मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि रेस्पोडेन्ट उस मार्ग का उपयोग करते हैं जिसे विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा वैकल्पिक मार्ग बताया गया है । दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि जो वैकल्पिक मार्ग विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया है वह राजस्व दस्तावेजों में रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय तथा न्यायालय हाजा में कथन किया है कि उन्होंने कभी अपीलान्ट द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते का उपयोग नहीं किया । मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है "मौके पर वैकल्पिक रास्ते के तौर पर अन्य काश्तकार काम ले रहे हैं जो रिकॉर्डेड नहीं हैं । जहॉ से भी प्रार्थी को खसरा नम्बर 1168 सिवायचक व 1165 की मेड के सहारे खातेदारी की भूमि की लम्बाई 73 गठ्ठे X 1.5 = 109.5 गठ्ठा दूरी पर प्रार्थियों के खातेदारी की भूमि पर पहुंचा जा सकता है । इस प्रकार कुल लम्बाई 360 + 73 = 433 गठ्ठा है ।" इससे स्पष्ट है कि बीच में सिवायचक भूमि भी है । रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि रेस्पोडेन्ट इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं । मौका रिपोर्ट में अंत में अंकित है कि – वादीगणों द्वारा मांगे जाने वाला रास्ता ही (50 गठ्ठा) सबसे छोटा व सुगम होगा । प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई दूसरा सुगम रास्ता नहीं है । इस प्रकार जिस वैकल्पिक मार्ग का विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है उसे परीक्षण न्यायालय ने वैकल्पिक मार्ग नहीं माना है तथा मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजों से भी वैकल्पिक मार्ग का रेस्पोडेन्ट द्वारा उपयोग किया जाना सिद्ध नहीं है ।

15. खसरा नम्बर 1152 में प्रार्थना पत्र के बाद जो तरमीम राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई है उसे विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने गलत तथा विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने मौका व रिकॉर्ड

अनुसार सही बताया है । यहाँ विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट स्वयं का कथन है कि खसरा नम्बर 1152 में कई आवंटी हैं । परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई तरमीम को किसी पक्षकार द्वारा किसी सक्षम न्यायालय ने चुनौती दी गई हो । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो कि उक्त तरमीम को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो । जो रास्ता दिया गया है वह गै0मु0 सिवायचक खसरा नम्बर 1152 में से दिया गया है ।

16. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उन्हें परीक्षण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है । परन्तु रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2021 तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका अवलोकन दिनांक 22.10.2021 के मौका पर्चा से स्पष्ट है कि अपीलान्ट नाथू व जुम्मा कैम्प कोर्ट दिनांक 22.10.2021 को उपस्थित थे तथा उनके द्वारा की गई आपत्ति को भी सुना गया । आदेशिका दिनांक 22.10.2021 में भी अंकित है कि "अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित हैं ।" आदेशिका दिनांक 22.10.2021 पर अंगूठा निशानी भी लगी है जिस पर जुम्मा व नाथू अंकित है । तत्पश्चात् निर्णय पारित किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा Summary Inquiry कर 90 दिवस में प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने का प्रावधान है । प्रकरण दिनांक 16.09.2019 को परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था । पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा रिमाण्ड के पश्चात् दिनांक 30.12.2021 को दर्ज किया गया तथा दिनांक 03.11.2021 को निर्णित किया गया है । पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के कॉलम में निम्न पक्षकारों के उपस्थित होना अंकित किया–कमला बाई, प्रेमबाई, मोतीलाल, जगदीश, नाथू एवं जुम्मा । इसमें अपीलान्ट नाथू व जुम्मा भी अंकित है । आगे यह भी अंकित किया गया है कि अपीलान्ट नाथू व जुम्मा ने हस्ताक्षर करने से मना किया । मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 पर 3 मौतविरान के भी हस्ताक्षर हैं । इससे स्पष्ट है कि जुम्मा व नाथू को मौका रिपोर्ट की जानकारी थी । प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा जवाब व आपत्ति भी पेश की गई है । तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी द्वारा Summary Inquiry के पश्चात् निर्णय दिनांक 03.11.2011 पारित किया गया है। हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हम सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2021 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा